शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रः दिल्ली सरकार
9वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली

विधायक का नाम : श्री विशेष रवि

दिनांक : 30.07.2021

विधान सभा तारांकित प्रश्न संख्या : 33

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
क	क्या यह सत्य है कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम और उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने वर्ग ए और बी के लिए फाइनेंशियल ट्रेड लाइसेंसों की दर में वृद्धि की है,	जी हॉ, पूर्वी दिल्ली नगर निगम और उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने ट्रेड लाइसेंस की दरो में वृद्धि की है।
ख	यदि हॉ, तो उसका विवरण दें,	**उत्तरी दिल्ली नगर निगमः–** जनरल ट्रेड/ स्टोरेज वर्ग ए और बी के लाईसेन्सों की दर में वृद्धि दिनांक 09.10.2020 को की गई थी जो निम्नलिखित है ।

ए और बी श्रेणी में जनरल ट्रेड/स्टोरेज लाईसेंस के ग्रांट/ रिन्यूवल की दरों में वृद्धि का विवरण

ट्रेड प्रेमिसेस

10 वर्ग मी. तक		10–20 वर्ग मी. तक		20 वर्ग मी. से ज्यादा		सिंगल लाइसेंस के शुल्क की अधिकत्म दर	
पहले रु.	अब रु.	पहले रु.	अब रु.	पहले रु.	अब रु.	पहले रु.	अब रु.
500	3450	500	8625	@ रु. 50प्रति वर्ग मीटर	@ रु. 144प्रति वर्ग मीटर	15000/–	57500/–

ट्रेड/स्टोरेज का नाम

क्र. स.	ट्रेड/स्टोरेज का नाम	लाईसेंस की पूर्व दर	लाईसेंस की वर्ममान दर
1.	शोरूम	रु.50 प्रति वर्ग मीटर जो कि एक साल में एक लाईसेंस के लिए अधिकत्म रु.15000/–	रु.57500/– या रु. 144 प्रति वर्ग मीटर जो भी ज्यादा हो ।
2.	रिटेल आउट लेट		
3.	वेयर हाउस		
4.	स्टोर एटैच वीद कोल्ड स्टोर		
5.	गैस/ सीएनजी गोडाउन/ स्टोरेज		
6.	पेट्रोलियम एवं पेट्रोलियम उत्पाद (डेंजरस पेट्रोलियम एक्ट 1934 के अलावा)		

विस्तृत शुल्क सूची संलग्न है ।

Dy. Secy. (Urban Development)
Govt. of N.C.T. of Delhi
Delhi Secretariat

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
<u>पूर्वी दिल्ली नगर निगमः–</u> जनरल ट्रेड/ स्टोरेज वर्ग ए और बी के वार्षिक लाईसेन्सों की दर में वृद्धि दिनांक 01.04.2021 को की गई थी जो निम्नलिखित है ।
<u>ए और बी श्रेणी में जनरल ट्रेड/स्टोरेज लाईसेंस के ग्रांट/ रिन्यूवल की दरों में वृद्धि का विवरण</u>
ट्रेड प्रेमिसेस
<table>
<tr><td colspan="2">10 वर्ग मी. तक</td><td colspan="2">10–20 वर्ग मी. तक</td><td colspan="2">20 वर्ग मी. से ज्यादा</td><td>सिंगल लाइसेंस के शुल्क की अधिकत्म दर</td></tr>
<tr><td>पहले रु.</td><td>अब रु.</td><td>पहले रु.</td><td>अब रु.</td><td>पहले रु.</td><td>अब रु.</td><td>दर (रुपये में)</td></tr>
<tr><td>200</td><td>3000</td><td>500</td><td>7500</td><td>@ रु. 50प्रति वर्ग मीटर</td><td>@ रु. 124प्रति वर्ग मीटर</td><td>50,000/–</td></tr>
</table>
ट्रेड/स्टोरेज का नाम
<table>
<tr><td>क. स.</td><td>ट्रेड/स्टोरेज का नाम</td><td>लाईसेंस की पूर्व दर</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>शोरूम</td><td rowspan="6">रु.50000/– या रु.125 प्रति वर्ग मीटर जो भी अधिक हो ।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>रिटेल आउट लेट</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>वेयर हाउस</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>स्टोर एटैच वीद कोल्ड स्टोर</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>गैस/ सीएनजी गोडाउन/ स्टोरेज</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>पेट्रोलियम एवं पेट्रोलियम उत्पाद (डेंजरस पेट्रोलियम एक्ट 1934 के अलावा)</td></tr>
</table>
विस्तृत शुल्क सूची संलग्न है ।
</td>
</tr>
<tr>
<td>ग</td>
<td>क्या महामारी की इस स्थिति में यह वृद्धि न्यायासंगत है, जब कि व्यापारी पहले ही भारी वित्तीय तनाव में है,</td>
<td>
<u>उत्तरी दिल्ली नगर निगमः–</u> संशोधित फीस वृद्धि का निर्णय निगम की समिति द्वारा पिछले साल निगम की वित्तीय हालात को सुधारने के मद्दे नजर रखते हुए लिया गया । इस वित्तीय वर्ष में कोई फीस वृद्धि नहीं की गई है।
<u>पूर्वी दिल्ली नगर निगमः–</u> चूंकि पूर्वी दिल्ली नगर निगम भारी वित्तीय संकटों से जूझ रहा है और निगम को अपने कर्मचारियों को समय पर वेतन देने मे भी कठिनाई हो रही है इसलिए निगम ने अपने आतंरिक राजस्व को बढ़ाने के लिए दिनांक 01.04.2021 से ट्रेड लाइसेंस की दरों में वृद्धि की है।
इस संबंध में यह भी सूचित किया जाता है कि यह पहली बार है जब पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने अपने गठन के पश्चात ट्रेड लाइसेंस की दरों को बढ़ाया है, जब कि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने वर्ष 2018 एवं 2020 कमशः में ही ट्रेड लाइसेंस की दरों में वृद्धि कर दी थी ।
</td>
</tr>
<tr>
<td>घ</td>
<td>क्या सरकार का इन दरों को संशोधित करने और व्यापारियों को राहत प्रदान करने का कोई इरादा है, और</td>
<td>
<u>उत्तरी दिल्ली नगर निगमः–</u> इस का निर्णय निगम समिति द्वारा लिया जाना है ।
<u>पूर्वी दिल्ली नगर निगमः–</u> इस संबंध में काई प्रस्ताव लम्बित नहीं है, हालांकि व्यापारिक वर्ग को राहत देते हुए पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने ट्रेड लाइसेंस के नवीनीकरण से संबंधित पेंनल्टी को 31.08.2021 तक माफ कर दिया है ।
</td>
</tr>
<tr>
<td>ड</td>
<td>यदि हां, तो उसका विवरण ?</td>
<td>
<u>उत्तरी दिल्ली नगर निगमः–</u> इस का निर्णय निगम समिति द्वारा लिया जाना है ।
<u>पूर्वी दिल्ली नगर निगमः–</u>
उपरोक्त 'घ' के अनुसार
</td>
</tr>
</table>

Dy. Secy. (Urban Development)
Govt. of N.C.T. of Delhi
Delhi Secretariat

पूरक सूचना.

उत्तरी दिल्ली नगर निगम

एकीकृत नगर निगम के दौरान जनरल ट्रेड/स्टोरेज लाईसेंसों की फीस सन 2009 में निर्धारित की गई थी जिसको दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा सन 01 अप्रैल 2016 में संशोधित किया गया। जिसके अनुसार उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने भी जनरल ट्रेड /स्टोरेज लाईसेंसो की फीस दर दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के समान्तर करने का निर्णय निगम समिति द्वारा पास प्रस्ताव संख्या 71 दिनांक 27.08.2020 के तहत लिया गया तथा दिनांक 09.10.2020 लागू करने के आदेश जारी किये गए।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम

- पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने ट्रेड लाईसेंस की दरों में वृद्धि की है।चूँकि, पूर्वी दिल्ली नगर निगम भारी वित्तीय संकटों से जूझ रहा है और निगम को अपने कर्मचारियों को समय पर वेतन देने में भी कठनाई हो रही है, इसलिए निगम ने अपने आन्तरिक राजस्व को बढाने के लिए दिनांक 01.04.2021 से ट्रेड लाईसेंस की दरों को बढाया है। ट्रेड लाईसेंस की बढी हुई दरें संलग्न है।
- यह पहली बार है जब पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने अपने गठन के पष्चात् ट्रेड लाईसेंस की दरों को बढाया है, जबकि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने वर्श 2016 एवं 2020 कमषः में ही ट्रेड लाईसेंस की दरों में वृद्धि कर दी थी।
- पुराने ट्रेड लाईसेंस सॉफटवेयर के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान पर किसी भी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधियों के लिए लाईसेंस ले लिया करते थे, परन्तु नई ट्रेड लाईसेंस पॉलिसी बनने के बाद ट्रेड लाईसेंस केवल संबंधित ट्रेड के लिए अनुसूचित स्थानों पर ही लिया जा सकता है, जिसकी जानकारी आवेदक को स्वयं देनी होगी।
- नया ट्रेड लाईसेंस लेने के लिए जरूरी दस्तावेजों की संख्या 09 से घटाकर 04 कर दी गयी है।
- ट्रेड लाईसेंस के नवनीकरण के समय मॉगे जाने वाले जरूरी दस्तावेजों की संख्या 09 से घटाकर 02 कर दी गयी है।
- ट्रेड लाईसेंस के अर्न्तगत आने वाली गतिविधियां पहले केवल 250 थी, जिन्हे बढाकर 462 कर दिया गया है।
- ट्रेड लाईसेंस को एकमुष्त तीन वित्तीय वर्शों के लिए जारी करने का प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार सॉफटवेयर में परिवर्तन का कार्य चल रहा है।
- कोविड–19 महामारी को ध्यान में रखते हुए व्यापारिक वर्ग को राहत देते हुए पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने ट्रेड लाईसेंस के नवीनीकरण से संबंधित पेनल्टी को 31.08.2021 तक माफ कर दिया है।

Dy. Secy. (Urban Development)
Govt. of N.C.T. of Delhi
Delhi Secretariat

उत्तरी दि न.० नि. 4

Annexure - अ - I

COMPARATIVE OF EARLIER LICENSE FEE AND EXISTING LICENSE FEE TO BE LEVIED FOR GRANT/RENEWAL OF GENERAL TRADE/ STORAGE LICENSES OF NORTH DMC

Category of the localities (in which trade Premises is existing)	Upto 10 Sq. Mtr.		Between 10 to 20 Sq. Mtr.		Above 20 Sq. Mtrs.		The fees/charges will not exceed in a year in respect of single license	The fees/charges will not exceed in a year in respect of single license
	Earlier fee (in Rs.)	Revised fee (in Rs.)	Earlier fee (in Rs.)	Revised fee (in Rs.)	Earlier fee (in Rs.)	Revised fee (in Rs.)	Earlier fee (in Rs.)	Revised fee (in Rs.)
A & B	500/-	3450/-	500/-	8625/-	@ 50/- per Sq. Mtr.	@ 144/- per Sq. Mtr.	15000/-	57500/-
C & D	500/-	2300/-	500/-	5750/-	@ 50/- per Sq. Mtr.	@ 115/- per Sq. Mtr.	15000/-	46.000/-
E.F.G and H	500/-	1150/-	500/-	2875/-	@ 50/- per Sq. Mtr.	@ 86/- per Sq. Mtr.	15000/-	34.500/-

contd/p-2

Asstt. Commissioner
CL & EC Deptt.
North Delhi Municipal Corporation

ANNUAL LICENSE FEE TO BE LEVIED FOR GRANT/RENEWAL OF SPECIAL TRADE/STORAGE LICENSES

Sl. No.	Name of Trade/Storage	Category of the localities (in which trade/storage is running)	Earlier Rate of License fee	Existing Rate of License fee
01	Show Rooms i.e (a) A showroom is a large space equal or more than 250 Sq. mtr. used to display products for sale, such as Automobile, Furniture, Appliances, Carpets or Apparel etc.; (b) A showroom is a retail store of a company in which products are on sale in a space created by their brand or company.) Running trade i.e. Automobile, Furniture, Carpet, Apparel, Appliances, Jewellery, etc.	A & B	Rs. 50/ Sq Mtr or fees/charges Rs. 15000/- will not exceed in a year in respect of single license	Rs. 57,500/- or Rs. 144/- Sq. Mtr. whichever is higher
		C &D	Rs. 50/- Sq Mtr or fees/charges Rs. 15000/- will not exceed in a year in respect of single license	Rs. 46,000/- or Rs. 115/- Sq. Mtr. whichever is higher
		E,F,G & H	Rs. 50/- Sq Mtr or fees/charges Rs. 15000/- will not exceed in a year in respect of single license	Rs. 34,500/- or Rs. 86/- Sq. Mtr. whichever is higher
02	Retail out-lets (convenience stores) of MNCS & Indian Companies with foreign or domestic collaboration	A & B	Rs. 50/- Sq Mtr or fees/charges Rs. 15000/- will not exceed in a year in respect of single license	Rs. 57,500/- or Rs. 144/- Sq. Mtr. whichever is higher
		C &D	Rs. 50/ Sq Mtr or fees/charges Rs. 15000/- will not exceed in a year in respect of single license	Rs. 46,000/- or Rs. 115/- Sq. Mtr. whichever is higher
		E,F,G & H	Rs. 50/- Sq Mtr or fees/charges Rs. 15000/- will not exceed in a year in respect of single license	Rs. 34,500/- or Rs. 86/- Sq. Mtr. whichever is higher
03	Ware-houses from where goods are sold	A & B	Rs. 50/- Sq Mtr or fees/charges Rs. 15000/- will not exceed in a year in respect of single license	Rs. 57,500/- or Rs. 144/- Sq. Mtr. whichever is higher
		C &D	Rs. 50/- Sq Mtr or fees/charges Rs. 15000/- will not exceed in a	Rs. 46,000/- or Rs. 115/- Sq. Mtr. whichever is higher

Contd P-3

29/7/21
Asstt. Commissioner
CL & EC Deptt

			year in respect of single license	
		E.F.G & H	Rs. 50/- Sq Mtr or fees/charges Rs. 15000/- will not exceed in a year in respect of single license	Rs. 34,500/- or Rs. 86/- Sq. Mtr. whichever is higher
04	Stores attached with cold store	A & B	Rs. 50/- Sq Mtr or fees/charges Rs. 15000/- will not exceed in a year in respect of single license	Rs. 57,500/- or Rs. 144/- Sq. Mtr. whichever is higher
		C &D	Rs. 50/- Sq Mtr or fees/charges Rs. 15000/- will not exceed in a year in respect of single license	Rs. 46,000/- or Rs. 115/- Sq. Mtr. whichever is higher
		E.F.G & H	Rs. 50/- Sq Mtr or fees/charges Rs. 15000/- will not exceed in a year in respect of single license	Rs. 34,500/- or Rs. 86/- Sq. Mtr. whichever is higher
05	Gas/CNG Godowns/Storage	A & B	Rs. 50/- Sq Mtr or fees/charges Rs. 15000/- will not exceed in a year in respect of single license	Rs. 57,500/- or Rs. 144/- Sq. Mtr. whichever is higher
		C &D	Rs. 50/- Sq Mtr or fees/charges Rs. 15000/- will not exceed in a year in respect of single license	Rs. 46,000/- or Rs. 115/- Sq. Mtr. whichever is higher
		E.F.G & H	Rs. 50/- Sq Mtr or fees/charges Rs. 15000/- will not exceed in a year in respect of single license	Rs. 34,500/- or Rs. 86/- Sq. Mtr. whichever is higher
06	Petroleum & Petroleum Products (other than dangerous Petroleum Act-1934)	A & B	Rs. 50/- Sq Mtr or fees/charges Rs. 15000/- will not exceed in a year in respect of single license	Rs. 57,500/- or Rs. 144/- Sq. Mtr. whichever is higher
		C &D	Rs. 50/- Sq Mtr or fees/charges Rs. 15000/- will not exceed in a year in respect of single license	Rs. 46,000/- or Rs. 115/- Sq. Mtr. whichever is higher
		E.F.G & H	Rs. 50/- Sq Mtr or fees/charges Rs. 15000/- will not exceed in a year in respect of single license	Rs. 34,500/- or Rs. 86/- Sq. Mtr. whichever is higher

The above fee of General Trade / Storage License has been revised on 09.10.2020 vide Corporation resolution no. 342 dated 14.09.2020.

Asstt. Commissioner
CL & EC Deptt.
North Delhi Municipal Corporation

7

पूर्वी दिल्ली नगर निगम
केन्द्रीय लाईसेंसिंग एवं प्रवर्तन कक्ष
419, उद्योग सदन पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र
दिल्ली–92

पत्रांकः– डी- 50/केन्द्रीय लाईसेंसिंग एवं प्रवर्तन कक्ष/2021 दिनांकः– 29/7/2021

विषयः– विधान सभा तारांकित/अतारांकित प्रश्न संख्या 33 "ट्रेड लाईसेंसों की दर की वृद्धि" के संबंध में पूरक सामग्री के संबंध में।

- पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने ट्रेड लाईसेंस की दरों में वृद्धि की है।चूँकि, पूर्वी दिल्ली नगर निगम भारी वित्तीय संकटों से जूझ रहा है और निगम को अपने कर्मचारियों को समय पर वेतन देने में भी कठनाई हो रही है, इसलिए निगम ने अपने आन्तरिक राजस्व को बढाने के लिए दिनांक 01.04.2021 से ट्रेड लाईसेंस की दरों को बढाया है। ट्रेड लाईसेंस की बढी हुई दरें संलग्न है।
- यह पहली बार है जब पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने अपने गठन के पश्चात् ट्रेड लाईसेंस की दरों को बढाया है, जबकि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने वर्ष 2016 एवं 2020 क्रमशः में ही ट्रेड लाईसेंस की दरों मे वृद्धि कर दी थी।
- पुराने ट्रेड लाईसेंस सॉफटवेयर के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान पर किसी भी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधियों के लिए लाईसेंस ले लिया करते थे, परन्तु नई ट्रेड लाईसेंस पॉलिसी बनने के बाद ट्रेड लाईसेंस केवल संबंधित ट्रेड के लिए अनुसूचित स्थानों पर ही लिया जा सकता है, जिसकी जानकारी आवेदक को स्वयं देनी होगी।
- नया ट्रेड लाईसेंस लेने के लिए जरूरी दस्तावेजों की संख्या 09 से घटाकर 04 कर दी गयी है।
- ट्रेड लाईसेंस के नवनीकरण के समय मॉगे जाने वाले जरूरी दस्तावेजों की संख्या 09 से घटाकर 02 कर दी गयी है।
- ट्रेड लाईसेंस के अर्न्तगत आने वाली गतिविधियां पहले केवल 250 थी, जिन्हे बढाकर 462 कर दिया गया है।
- ट्रेड लाईसेंस को एकमुश्त तीन वित्तीय वर्षों के लिए जारी करने का प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार सॉफटवेयर में परिवर्तन का कार्य चल रहा है।
- कोविड–19 महामारी को ध्यान में रखते हुए व्यापारिक वर्ग को राहत देते हुए पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने ट्रेड लाईसेंस के नवीनीकरण से संबंधित पेनल्टी को 31.08.2021 तक माफ कर दिया है।

29/07/2021

अतिरिक्त उपायुक्त
केन्द्रीय लाईसेंसिंग विभाग

प्रशासनिक अधिकारी
सदन एवं समिति विभाग

REVISED ANNUAL LICENSE FEE TO BE LEVIED FOR GRANT/RENEWAL OF GENERAL TRADE/ STORAGE LICENSES

Category of the localities (in which trade Premises is existing)	Upto 10 Sq. Mtr.		Between 10 to 20 Sq. Mtr.		Above 20 Sq. Mtrs. (Base rate of 20 Sq. Mtrs. + revised rate as per category of the locality for additional area above 20 Sq. mtrs.)		The fees/charges will not exceed in a year in respect of single license
	Existing (in Rs.)	Revised (in Rs.)	Existing (in Rs.)	Revised (in Rs.)	Existing (in Rs.)	Revised (in Rs.)	(in Rs.)
A & B	200/-	3000/-	500/-	7,500/-	@ 50/- per Sq. Mtr.	@ 125/- per Sq. Mtr.	50,000/-
C & D	200/-	2000/-	500/-	5000/-	@ 50/- per Sq. Mtr.	@ 100/- per Sq. Mtr.	40,000/-
E,F,G and H	200/-	1000/-	500/-	2500/-	@ 50/- per Sq. Mtr.	@ 75/- per Sq. Mtr.	30,000/-

ANNUAL LICENSE FEE TO BE LEVIED FOR GRANT/RENEWAL OF SPECIAL TRADE/STORAGE LICENSES

Sl. No.	Name of Trade/Storage	Category of the localities (in which trade/storage is running)	Rate of License fee
01	Show Rooms i.e (a) A showroom is a large space equal or more than 250 Sq. mtr. used to display products for sale, such as Automobile, Furniture, Appliances, Carpets or Apparel etc.; (b) A showroom is a retail store of a company in which products are on sale in a space created by their brand or company.) Running trade i.e. Automobile, Furniture, Carpet, Apparel, Appliances, Jewellery, etc.	A & B	**Rs. 50,000/- or Rs. 125/- Sq. Mtr.** whichever is higher
		C &D	**Rs. 40,000/- or Rs. 100/- Sq. Mtr.** whichever is higher
		E,F,G & H	**Rs. 30,000/- or Rs. 75/- Sq. Mtr.** whichever is higher
02	Retail out-lets (convenience stores) of MNCS & Indian Companies with foreign or domestic collaboration	A & B	**Rs. 50,000/- or Rs. 125/- Sq. Mtr.** whichever is higher
		C &D	**Rs. 40,000/- or Rs. 100/- Sq. Mtr.** whichever is higher
		E,F,G & H	**Rs. 30,000/- or Rs. 75/- Sq. Mtr.** whichever is higher
03	Ware-houses from where goods are sold	A & B	**Rs. 50,000/- or Rs. 125/- Sq. Mtr.** whichever is higher
		C &D	**Rs. 40,000/- or Rs. 100/- Sq. Mtr.** whichever is higher
		E,F,G & H	**Rs. 30,000/- or Rs. 75/- Sq. Mtr.** whichever is higher

04	Stores attached with cold store	A & B	**Rs. 50,000/- or Rs. 125/- Sq. Mtr.** whichever is higher
		C &D	**Rs. 40,000/- or Rs. 100/- Sq. Mtr.** whichever is higher
		E,F,G & H	**Rs. 30,000/- or Rs. 75/- Sq. Mtr.** whichever is higher
05	Gas/CNG Godowns/Storage	A & B	**Rs. 50,000/- or Rs. 125/- Sq. Mtr.** whichever is higher
		C &D	**Rs. 40,000/- or Rs. 100/- Sq. Mtr.** whichever is higher
		E,F,G & H	**Rs. 30,000/- or Rs. 75/- Sq. Mtr.** whichever is higher
06	Petroleum & Petroleum Products (other than dangerous Petroleum Act-1934)	A & B	**Rs. 50,000/- or Rs. 125/- Sq. Mtr.** whichever is higher
		C &D	**Rs. 40,000/- or Rs. 100/- Sq. Mtr.** whichever is higher
		E,F,G & H	**Rs. 30,000/- or Rs. 75/- Sq. Mtr.** whichever is higher